

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
POLITICAL BRANCH
Notification

The 30th August, 2018

No. 42/1/2011-5Pol.- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that any strike by the employees of State Transport Department/Haryana Roadways shall gravely affect the public safety and commuting of passengers, which is an essential services to the community and is likely to ultimately affect the supply of essential services to the public in the State of Haryana.

And whereas the Governor of Haryana is further satisfied that the prohibition of strike by the employees of said Department is in public interest and it is necessary to prohibit a strike.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section 2 of section 4 A of the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (40 of 1974), the Governor of Haryana prohibits strike by the employees of State Transport /Haryana Roadways by any of their employees for a period of six month with immediate effect.

Dated Chandigarh
The 30th August, 2018.

D.S. Dhesi
Chief Secretary to Government, Haryana.

No. 41/16/2017-5Pol

Dated Chandigarh the 30th August, 2018.

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery, Haryana, Chandigarh for immediate necessary action. He is requested to published this order in the Haryana Government Gazette (Extra Ordinary) of today and supply 50 spare copies of the same to the General Administration Department (in Political Branch)


Under Secretary Political,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

Endst No. 42/1/2011-5Pol

Dated Chandigarh the 30th August, 2018.

A Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Additional Chief Secretary to Government, Haryana.
Home Department.
2. Additional Chief Secretary to Government, Haryana.
Transport Department.


Under Secretary Political,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

Endst No. 42/1/2011-5Pol

Dated Chandigarh the 30th August, 2018.

A Copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Divisional Commissioners in the State of Haryana.
2. All the Deputy Commissioner in the State of Haryana.
3. Director General Information & Public Relations Department, Haryana.
4. Director General of Police Haryana, Panchkula.


Under Secretary Political,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

हरियाणा सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
राजनैतिक शाखा
अधिसूचना

दिनांक 30 अगस्त, 2018.

संख्या 42/11/2011-5पोल- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि राज्य परिवहन विभाग/हरियाणा रोड़वेज में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की जा रही किसी भी हड़ताल से जन सुरक्षा तथा यात्रियों की आवागमन, जो कि जन समुदाय के लिए आवश्यक सेवाएं हैं, बुरी तरह से प्रभावित होगी तथा हरियाणा राज्य में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति आखिरकार प्रभावित होने की सम्भावना है।

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की आगे संतुष्टि हो गई है कि उक्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल का प्रतिषेध करना लोक हित में है तथा हड़ताल का प्रतिषेध आवश्यक है,

इसलिए, अब, हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का 40), की धारा 4 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह मास की अवधि तक राज्य परिवहन विभाग/हरियाणा रोड़वेज में कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल को प्रतिषेध करते हैं।

दिनांक

30 अगस्त, 2018

क्रमांक 42/1/2017-5पोल

डी.एस.ढेसी

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

दिनांक चण्डीगढ़ 30 अगस्त, 2018.

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हरियाणा, चण्डीगढ़ को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। उनसे अनुरोध है कि इस आदेश को हरियाणा सरकार के आज के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करें तथा इसकी 50 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग (राजनैतिक शाखा) को भिजवाये।


अवर सचिव राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 42/1/2011-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 30 अगस्त, 2018.

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग।


अवर सचिव राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 42/1/2011-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 30 अगस्त, 2018.

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

1. सभी मण्डल आयुक्त हरियाणा।
2. सभी उपायुक्त हरियाणा।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक स्पर्धक विभाग हरियाणा।
4. महानिदेशक, पुलिस हरियाणा पंचकूला।


अवर सचिव राजनैतिक
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।